झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ।

2. झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखंड अधिनियम, 07, 2012) की अध्याय–48 की धारा–615 (4), 615 (6) (क) एवं 615 (6) (घ) का संशोधन।

3. झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखंड अधिनियम, 07, 2012) की अध्याय–45 की धारा–568 का संशोधन।

4. झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखंड अधिनियम, 07, 2012) के अनुसूची में उल्लेखित "(देखें धारा–454)" के स्थान पर "(देखें धारा–455)" प्रतिस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) के अध्याय–45 की धारा–568, अध्याय–48 की धारा–615 एवं 'अनुसूची' में संशोधन हेतु विधेयक ।

प्रस्तावना :–

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा–615 उपधारा–(4) के अन्तर्गत जहाँ तक खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार धनबाद को अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से निष्प्रभावी करते हुए संबद्ध नगर निकायों में समाहित किये जाने का प्रावधान है, इस संबंध में झारखण्ड विधानसभा के कई माननीय सदस्यों तथा खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री –सह–नगर विकास मंत्री, झारखण्ड सरकार को सम्बोधित अभ्यावेदनों में खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद को धनबाद नगर निगम में विलय के बिन्दु पर कतिपय आपत्तियाँ एवं सुझाव देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम के अध्याय–II की धारा–8 एवं अध्याय–VI की धारा–41 (1), (2) (i) से (xxi) तक में प्राधिकार के कार्य एवं दायित्वों का वर्णन है, जिसके तहत कोयलांचल क्षेत्र एवं उससे सटे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का विकास का दायित्व खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद के जिम्मे था। उक्त प्राधिकार के अन्तर्गत जलापूर्ति व्यवस्था, स्वास्थ्य, सफाई एवं कोयला खनन क्षेत्रों में भू–धसान बचाव/ पूनर्वास का कार्य था, जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, वह तत्क्षण प्रभावित हो गया है। साथ ही, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद को निष्प्रभावी होने से प्राधिकार के विभिन्न पदों के कुल 1,940 कर्मियों के निगम में समायोजन की भी एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसके अतिरिक्त प्राधिकार के आय स्त्रोत में वृद्धि हेतु प्रावधानित **"भूमि उपयोग कर"** एवं **"बाजार फीस"** के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में कतिपय लम्बित वाद की पैरवी भी प्रभावित हो गयी है। उक्त परिस्थिति में खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के अस्तिव को संबद्ध नगर निकाय क्षेत्र से बाहर बनाये रखने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

इस संबंध में दिनांक 26 नवम्बर, 2013 को मुख्य सचिव–सह–विकास आयुक्त, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के अस्तित्व, माडा कर्मियों के समायोजन एवं देनदारियों से संबंधित विषय पर आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 615 (4) में माडा के अस्तित्व को समाप्त कर धनबाद नगर निगम में समायोजित करने का प्रावधान किया गया है। व्यवहारिक रूप से इसे संभव प्रतीत नहीं पाये जाने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया कि माडा, धनबाद झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 615(3) के प्रावधान के अनुसार राँची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की भांति धनबाद नगर निगम के परिक्षेत्र से बाहर अपने कार्यों को सम्पादित करता रहे।

उक्त परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की अध्याय–48 की धारा–615(4), 615(6)(क) एवं 615(6) (घ) में संशोधन प्रस्तावित है।

अंकनीय है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा–568 निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रूप से किराये पर लेने या प्राप्त करने के लिए शास्ति–के अधीन प्रथम पंक्ति में मुद्रण भूल के कारण अंकित धारा–587 को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर धारा–586 प्रतिस्थापित किये जाने पर उक्त धारा का मूल उद्देश्य की पूर्ति होगी।

उक्त अधिनियम के हिन्दी संस्करण के पृष्ठ संख्या–392 पर टंकण भूल के कारण "अनुसूची" के बाद (देखें धारा–454) अंकित है, जबकि अंग्रेजी संस्करण के पृष्ठ संख्या–711 पर SCHEDULE (See section-455) अंकित है, जो सही है। ऐसी स्थिति में हिन्दी संस्करण में अंकित "अनुसूची (देखें धारा–454)" के स्थान पर "अनुसूची (देखें धारा–455)" प्रतिस्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के 66वें वर्ष झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार, एवं प्रारंभ –**

i. यह अधिनियम **"झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2015"** कहा जायगा।

ii. इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

iii. यह राजकीय गजट ई–गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की अध्याय–48 की धारा–615(4), 615(6)(क) एवं 615(6) (घ) का संशोधन :–**

i. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा–615 की उपधारा–(4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है :–

झारखण्ड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1986 के अधीन गठित खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शर्त्तो के अध्यधीन तथा संशोधन अध्यादेश के प्रभावी होने की तिथि से संबंधित नगर निकाय क्षेत्रों में निष्प्रभावी हो जायेगा।

"परन्तु यह कि खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा संचालित जलापूर्ति योजनाएँ राज्य सरकार के अगले आदेश तक धनबाद नगर निगम क्षेत्र में भी संचालित की जा सकेगी।"

ii. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा–615 की उप धारा–(6) (क) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाता है :–**

परन्तु यह कि राज्य सरकार खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के पदाधिकारियों/कर्मियों का वितरण खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार एवं राज्य के विभिन्न नगर निकायों में करने से संबंधित आदेश जारी कर सकेगा।"

iii. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा–615 की उपधारा – 6 (घ) के स्थान पर निम्नांकित प्रतिस्थापित किया जाता है :–**

इस धारा की उपधारा (1) (3) (4) और (5) में उल्लेखित अधिनियमों के अधीन गठित प्राधिकारों तथा संगठनों में निहित सारी जंगम (चल) और स्थावर (अचल) सम्पत्ति या किसी सम्पत्ति में अधिकार, पदवी तथा हित राज्य सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार तथा विभिन्न नगर निकायों के बीच वितरित किया जाएगा।

3. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) के अध्याय–45 की धारा–568 को निम्नांकित रूप में संशोधित किया जाता है :–**

यदि कोई व्यक्ति, धारा–586 की उपधारा – (च) में यथाविनिर्दिष्ट या निर्वाचन से सम्बन्धित किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, वह तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दंडणीय होगा।

4. **झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) के 'अनुसूची' में उल्लेखित '(देखें धारा–454)' के स्थान पर '(देखें धारा–455)' प्रतिस्थापित किया जाता है।**

~*~*~*~*

यह विधेयक झारखण्ड नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 27 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 27 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 35--50--7-9-2015 ।